भारत का पश्चिम एशिया संकट पर पैनी नजर, नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: जयशंकर

नई दिल्ली, 09 मार्च (हि.स.)। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को संसद में कहा कि भारत सरकार पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष की स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है और क्षेत्र में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।

लोकसभा और राज्यसभा में 'पश्चिम एशिया की स्थिति' पर दिए गए अपने वक्तव्य में जयशंकर ने बताया कि 28 फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष में इज़राइल और अमेरिका एक तरफ हैं और दूसरी तरफ ईरान है, जबकि कई खाड़ी देशों पर भी हमले हुए हैं। इस संघर्ष में भारी जनहानि और बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ है।

उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति की बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा की गई। समिति को इस इलाके में आने–जाने वाले भारतीय यात्रियों और इन देशों में तय परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को होने वाली मुश्किलों के बारे में बताया गया। इससे सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को इन समस्याओं से निपटने के लिए सही कदम उठाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नए डेवलपमेंट पर करीब से नज़र रख रहे हैं।

विदेश मंत्री ने बताया कि पश्चिम एशिया भारत के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि खाड़ी देशों में लगभग एक करोड़ भारतीय नागरिक रहते और काम करते हैं, जबकि ईरान में भी हजारों भारतीय छात्र और पेशेवर मौजूद हैं। इसके अलावा यह क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। खाड़ी देश एक बड़ा ट्रेड पार्टनर भी हैं, जो हर साल लगभग 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार करते हैं। सदन को यह भी पता है कि पिछले दशक में इस इलाके से भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी निवेश हुआ है। इसलिए सप्लाई चेन में गंभीर रुकावटें और अस्थिरता के माहौल को हम गंभीर मुद्दे मानते हैं। इसके अलावा, इनमें मर्चेंट शिपिंग पर हमले भी शामिल हैं, जहां भारतीय नागरिक अक्सर क्रू का एक बड़ा हिस्सा होते हैं। दुख की बात है कि हमने ऐसी घटनाओं में पहले ही दो भारतीय नाविकों को खो दिया है और एक अभी भी लापता है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने स्थिति बिगड़ने के संकेत मिलने पर जनवरी से ही ईरान के लिए यात्रा संबंधी परामर्श जारी किए थे और भारतीय नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी थी। 14 एवं 23 फरवरी को भी भारतीयों से सभी उपलब्ध साधनों से ईरान छोड़ने की अपील की गई थी।

संघर्ष शुरू होने के बाद भारतीय दूतावास ने तेहरान में रह रहे भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद की है और कुछ व्यापारिक कारणों से वहां मौजूद भारतीयों को आर्मेनिया के रास्ते वापस भारत भेजने में सहायता दी है।

उन्होंने बताया कि दुबई, दोहा और अबू धाबी जैसे ट्रांजिट केंद्रों में फंसे भारतीय यात्रियों की भी मदद की गई है तथा कई देशों की सीमाओं के जरिए सुरक्षित निकासी की व्यवस्था की गई है। अब तक लगभग 67 हजार भारतीय नागरिक विभिन्न उड़ानों से वापस लौट चुके हैं।

जयशंकर ने बताया कि ईरान के अनुरोध पर उसके एक पोत आईरिस लावन को 4 मार्च को कोच्चि में डॉक करने की अनुमति दी गई। जहाज के चालक दल को भारतीय नौसैनिक सुविधाओं में रखा गया है और ईरान ने इस मानवीय सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है।

उन्होंने कहा कि इस टकराव का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को देखते हुए सरकार इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दे रही है। सरकार ऊर्जा बाजार की जवाबदेही, लागत और जोखिमों को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय उपभोक्ताओं का हित हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है और आगे भी रहेगा। आवश्यकता पड़ने पर भारतीय कूटनीति ने इस अस्थिर स्थिति में देश की ऊर्जा कंपनियों के प्रयासों का भी समर्थन किया है।

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में तेजी का महंगाई पर खास असर नहीं: सीतारमण

नई दिल्ली, 09 मार्च (हि.स.)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम में वृद्धि का महंगाई पर खास असर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि देश में महंगाई पहले से ही अपने निचले स्तर के करीब है।

लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फरवरी के अंत से दो मार्च तक कच्चे तेल की कीमत (भारतीय बास्केट) 69.01 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 80.16 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई। चूंकि, भारत में महंगाई अपने निचले स्तर के करीब है, इसलिए फिलहाल महंगाई पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि, महंगाई पर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का मध्यम अवधि का प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करता है। इसमें विनिमय दर में उतार–चढ़ाव, वैश्विक मांग और आपूर्ति की स्थिति, मौद्रिक नीति का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाना, सामान्य मुद्रास्फीति की स्थिति और अप्रत्यक्ष प्रभाव की सीमा शामिल हैं।

लोकसभा में पूछा गया था कि क्या सरकार ने देश में महंगाई पर बढ़ते वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के प्रभाव की समीक्षा की है। इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक की अवटूबर, 2025 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि यदि कच्चे तेल की कीमत आधारभूत अनुमानों से 10 फीसदी अधिक होती हैं और घरेलू कीमतों पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है, तो महंगाई 0.3 फीसदी तक बढ़ सकती है।

पश्चिम एशिया संघर्ष तेज होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने की आशंका के बीच वायदा कारोबार में कच्चे तेल की कीमतें आज 26 फीसदी से अधिक के उछाल के साथ 114.29 डॉलर (10,549 रुपये) प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है।

केंद्र ने पोंग झील वेटलैंड और रेणुका वेटलैंड संरक्षण के लिए दिए 5.73 करोड़: अनुराग सिंह ठाकुर

धर्मशाला, 09 मार्च (हि.स.)। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लोकसभा में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से हिमाचल प्रदेश में वेटलैंड्स के संरक्षण, फंडिंग और वैज्ञानिक निगरानी के बारे में उठाए गए प्रश्न पर मंत्रालय के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि हिमाचल के पोंग बांध झील और रेणुका वेटलैंड के संरक्षण के लिये 5.73 करोड़ दिए गए हैं।

अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में तीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रामसर साइट्स पोंग झील, रेणुका वेटलैंड और चंद्रताल वेटलैंड हैं। इनमें सबसे बड़ी पोंग बांध झील है, जिसे वर्ष 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। रेणुका वेटलैंड और चंद्रताल वेटलैंड दोनों को वर्ष 2005 में रामसर दर्जा मिला था। ये वेटलैंड्स हिमालयी जैव–विविधता कॉरिडोर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों एवं जीव–जंतुओं का घर हैं।

नई तकनीकों से जुड़कर ही विद्यार्थी भविष्य की चुनौतियों के लिए होंगे तैयार: तनुजा भट्ट

कानपुर, 09 मार्च (हि.स.)। आज के समय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा और शोध के क्षेत्र में तेजी से अपनी भूमिका बढ़ा रही है। विद्यार्थियों को नई तकनीकों से जोड़ना और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना समय की आवश्यकता है। यह बातें सोमवार को शिक्षा विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. तनुजा भट्ट ने कहीं।

छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के शिक्षा विभाग में सोमवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित इनोवेशन वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया। "द एआई एनहैंस्ड एजुकेटर" थीम पर आयोजित इस वर्कशॉप का आयोजन शिक्षा विभाग और अकैडलर्न संस्था के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई।

राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लाई जाएगी प्रोत्साहन नीति: सम्राट चौधरी

पटना, 09 मार्च (हि.स.)। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों के चालू करने के साथ ही 25 नई चीनी मिलों की स्थापना और गन्ना की पैदावार बढ़ाने को लेकर सोमवार को गन्ना उद्योग विभाग के तत्वावधान में दो दिवसीय गन्ना प्रौद्योगिकी सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन राज्य के उपमुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा, उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया। अध्यक्षता गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने की।

इस अवसर सम्राट चौधरी ने कहा कि शीघ्र ही प्रोत्साहन नीति–2026 लाई जाएगी और इसके माध्यम से राज्य में उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं, उन्हें पांच वर्ष के अंदर चिन्हित कर बिहार में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह सरकार की प्राथमिकता है और इस पर कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था का ज्ञान इसी बिहार ने दिया है। गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन के क्षेत्र में बिहार बहुत आगे था, लेकिन हम गन्ना के क्षेत्र में काफी पीछे छूट गए हैं। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों और गन्ना किसानों से अपील करते हुए कहा कि नई तकनीकी के साथ पुरानी पद्धति की ओर लौटना है, तभी हम अच्छी खेती कर पाएंगे। खेती की पुरानी पद्धति में कैसे लौटे इसपर भी चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने प्राकृतिक खेती, उन्नत बीज, औषधि और किसानों को होने वाली चुनौती का समाधान कराने पर बल दिया।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में पहले जितने चीनी मिले थीं, वह धीरे–धीरे बंद होती गईं। अब सरकार ने बंद मिलों को चालू कराने के साथ ही नई चीनी मिलें लगाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। आज बिहार में 10 चीनी मिलें चालू हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने चुनावी सभा के दौरान मंच से बिहार में 25 नई चीनी मिलें लगाने की घोषणा की थी। वह आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में धरातल पर उतरने जा रही है।

सार्वजनिक जीवन का उद्देश्य सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि लोगों के हित में नीतियां बनाना है: विजेंद्र गुप्ता

नई दिल्ली, 09 मार्च (हि.स.)। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को कहा कि एक सशक्त लोकतंत्र का सार केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे सार्थक और प्रभावी नीति–क्रियान्वयन तक पहुंचाना आवश्यक है। लोकतंत्र में विभिन्न मत और असहमति स्वाभाविक है, किंतु शासन की वास्तविक सफलता इस बात से मापी जाती है कि कानून और नीतियां आम नागरिक के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालती हैं।

विजेंद्र गुप्ता ने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ के कार्यक्रम "माइन्ड्यूक्टर 14.0" को संबोधित करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल राजनीति नहीं, बल्कि ऐसी नीतियां बनाना है जो लोगों की सेवा करें।

उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी विधायी संस्थाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभाएं और संसद ऐसे मंच हैं जहां सार्वजनिक मुद्दों पर गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ विचार–विमर्श किया जाता है तथा समाज के हित में नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं।

यूको बैंक UCO BANK
(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
अंचल कार्यालय, टी.एन. शर्मा पथ, नेहरु पार्क, जोरहाट- 785001, असम
निविदा सं. UCO/ZO-JOR/2025-26/ET-011 दिनांक: 07.03.2026

निविदा आमंत्रण

यूको बैंक, अंचल कार्यालय, जोरहाट असम, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड राज्यों में बैंक परिसर के फर्निशिंग एवं विद्युत कार्य हेतु ठेकेदारों के नियोजन के लिए सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित करता है।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 27.03.2026 सायं 5:00 बजे तक है। विवरण एवं निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट www.uco.bank.in पर जाएँ।

दिनांक: 09.03.2026 अंचल प्रबंधक

सार्वजनिक नोटिस

ICICI Bank
फील्डहेड कार्यालय आईसीआईसीआई बैंक टावर, चकली सर्कल के पास, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा–390007
कॉर्पोरेट कार्यालय आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा– कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई– 400051

स्वर्ण ई–नीलामी सह आमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (जेआईसीआईसीआई बैंक) से स्वर्ण आभूषणों के विरुद्ध ऋण की गई सुविधा (सुविधाओं) के कथनात भुगतान के लिए नोटिस जारी किया गया था। मुद्दा उन्होंने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, इसलिए हम 20 मार्च 2026 को निम्नी रखे गए स्वर्ण आभूषणों की ई–नीलामी करने के लिए बाध्य है। आईसीआईसीआई बैंक को लेना किसी पूर्व सूचना के खाते को हटाने अथवा ई–नीलामी की तिथि बदलने का अधिकार प्राप्त है। नीलामी ऑनलाइन https://jewel-auction.procuretiger.com पर दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया उक्त वेबसाइट पर लॉग–इन करें। उधारकर्ता की मृत्यु की स्थिति में सभी शर्तें विधिक उत्तराधिकारियों पर लागू होंगी।

ऋण खाता संख्या	शाखा का नाम
शाखा का नाम: गाहरलगुन	
295962000767	गिरवी बकाया
शाखा का नाम: गोहपुर	

ऋण खाता संख्या	शाखा का नाम
495962000117	नागपंचिया तारा
शाखा का नाम: गाहरलगुन	
295962000749	गिरिक्ष जागु

दिनांक: 10.03.2026 एसडी/ - अधिकृत अधिकारी
स्थान: पापुमपारे आईसीआईसीआईसीआई लिमिटेड

केनरा बैंक Canara Bank सिंडिकेट Syndicate
स्पेशलाइज्ड एसेट रिकवरी मैनेजमेंट शाखा (डि.पि.- 7259)
दूसरी मंजिल, डी बी ब्राडे, सिक्स माइल, पंजाबारी रोड, गुवाहाटी- 781022, ई-मेल- cb7259@canarabank.com

बिक्री सूचना

वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के अधीन अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री

एतद्द्वारा जनसाधारण तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटीदाता(ओं) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत ऋणदाता के पास नीचे उल्लेखित गिरवी पर रखी/प्रभारित अचल सम्पत्ति पर केनरा बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्ज़ा कर लिया गया है, जिसे यहां नीचे उल्लेखित उधारकर्ता और गारंटीदाता से केनरा बैंक के नीचे उल्लेखित शाखा की बकाया रकम की वसूली के लिए **दिनांक 30/03/2026** को "जैसा है जहां है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बिक्री की जाएगी। बयाना राशि जमा (ईएमडी) **दिनांक 30/03/2026** को सुबह 11.00 बजे या उससे पहले जमा की जानी चाहिए। नीलामी वेबसाइट: https://baanknet.com/ के जरिए "ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया" के माध्यम से संपादित होगी।
नीलामी की तारीख और समय: 30/03/2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे के बीच
(बिक्री के समापन तक प्रत्येक 5 मिनट के अवधि के असीमित विस्तार के साथ)।

शाखा, उधारकर्ता/गारंटीदाता, देयता, सम्पत्ति का विवरण और ईएमडी, आरक्षित मूल्य निम्नलिखित है:

उधारकर्ता / साझेदार / गारंटर का नाम	अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण	(क) कुल देयताएं (रु.): (ख) आरक्षित मूल्य (रु.): (ग) ईएमडी (रु.): (घ) वृद्धि रकम (रु.):
1) मैसर्स के पी ऑटो एंटरप्राइज़ मालिक- सापारिन पाव डोलो, पिता- ताचो डोलो, एफ सेक्टर, गाहरलगुन, जिला- पापुमपारे, अरुणाचल प्रदेश- 791111 2) श्री सापरिन पाव डोलो (गिरवीकर्ता), पिता- ताचो डोलो, एफ सेक्टर, गाहरलगुन, जिला- पापुमपारे, अरुणाचल प्रदेश- 791111	एफ सेक्टर गाहरलगुन, डाकघर / थाना- गाहरलगुन, जिला- पापुमपारे, अरुणाचल प्रदेश- 791110 में स्थित 536.00 वर्ग मीटर माप की ज़मीन का प्लॉट के साथ बिल्डिंग I = आरसीसी बिल्डिंग, बिल्डिंग II = कच्चा घर, बिल्डिंग III = आरसीसी बिल्डिंग संपत्ति। **सीमाएँ:- उत्तर:** रोड, **दक्षिण:** एन. कामकी का प्लॉट, **पूर्व:** जे. टी. राध का प्लॉट, **पश्चिम:** वाई. तानिन का प्लॉट।	(क) 45.47 लाख (ख) 216.00 लाख (ग) 21.60 लाख (घ) 0.50 लाख

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया केनरा बैंक की वेबसाइट (www.canarabank.com) पर दिए गए लिंक "ई-नीलामी" को देखें या स्पेशलाइज्ड एसारएम शाखा के प्रमुख, गुवाहाटी, दूसरी मंजिल, डीडीई बीडीई ब्राडे, पंजाबारी रोड, सिक्स माइल, गुवाहाटी, पिन- 781022, **संपर्क नं. +91-9971343295** से किसी भी कार्यकारी दिवस को कार्यालय समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं।
दिनांक: 09/09/2026
स्थान: गुवाहाटी एसडी/- अधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank ...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !
ए आर एम बी, डिब्रूगढ़, पीएनबी भवन, पहली मंज़िल, आर के बी पथ, डिब्रूगढ़-786001, मोबाइल- 9430085357, ई-मेल: cs8221@pnb.bank.in
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) / 8(6) के शर्त के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलाम बिक्री सूचना।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और गारंटीकर्ताओं को सूचना दि जाती है कि सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिनका रचनात्मक / भौतिक / प्रतीकात्मक कब्जा बैंक / सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था, उन्हे संबंधित उधारकर्ताओं और गारंटीकर्ताओं से बैंक/सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित दिनांक को "जहाँ है जैसा है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में संबंधित संपत्तियों के अनुसार होगी।

सुरक्षित संपत्ति की सूची

लट सं	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता(ओं)/गारंटीकर्ता(ओं) के नाम और पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/ मालिक का नाम [संपत्तियो के बंधककर्ताओं]	क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तारिख ख) 28.02.2026 तक शुद्ध बकाया राशि ग) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जे की तारिख घ) कब्जे की प्रकृति प्रतीकात्मक/भौतिक/रचनात्मक	क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) ख) ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तारिख) ग) बोली वृद्धि राशि	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समय	ई-नीलाम की तारिख/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात भार का विवरण
1	ईटानगर मैसर्स आर. एन. एंटरप्राइज़ेज (i) मैसर्स आर. एन. ऐंटरप्राइज़ेज, पता- नीति विहार, ईटानगर, पापुमपारे, अरुणाचल प्रदेश (ii) सालिक: श्री नबाम राधे, पिता- स्वर्गीय नबाम शिल्ली, डेपरा, डाकघर / थाना- बालिजन, संगदुपोटा सर्कल, जिला- पापुमपारे, अरुणाचल प्रदेश।	स्वर्गीय नबाम शिल्ली के पुत्र श्री नबाम राधे के नाम पर संगदुपोटा सर्कल के अंतर्गत गांव - डेपरा, डाकघर और थाना- बालिजान, जिला- पापुमपारे, अरुणाचल प्रदेश-791123 में स्थित सरकारी अनुमोदन भूमि कब्जा प्रमाण पत्र (एलपीसी) सं. डीसी/एलएम/एलपीसी-60/12 दिनांक 21/12/2016 के अन्तर्गत 5783 वर्ग मीटर माप के भूमि और भवन का पंजीकृत बंधक। **सीमाएं- उत्तर-** तेली लाडा की भूमि, **दक्षिण-** तेची माज की भूमि, **पूर्व-** तेली लाडा की भूमि, **पश्चिम-** तबा तारांम की भूमि।	क) 17/06/2021 ख) रु. 1,62,66,660.63 साथ में अतिरिक्त ब्याज और लागत ग) 27/10/2021 घ) प्रतीकात्मक	क) रु. 219.90 लाख ख) रु. 21.99 लाख (26/03/2026) ग) रु. 30,000/-	10.03.2026 से 26.03.2026 प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक	27/03/2026 प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक	कुछ नहीं

ई-नीलाम बिक्री के नियम और शर्तें

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन और आगे की निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
1) संपत्तियों की बिक्री "जहाँ है जैसी है" और "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" आधार पर की जा रही है।
2) यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्ति का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
3) अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर दिए गए ई-नीलाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से 27/03/2026 को प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक बिक्री की जाएगी।
4) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnb.bank.in देखें।

दिनांक: 09-03-2026 **प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान: डिब्रूगढ़ **पंजाब नैशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार**

सरफेईसी (SARFAESI) अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) / 8(6) के अंतर्गत वैधानिक बिक्री सूचना

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Bank **शाखा कार्यालय :** आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, प्लॉट नंबर 23, शाल टॉवर, तीसरी मंजिल, राजा रोहताक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली– 110005

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्जदार(रों) को मांग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।
कर्जदार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्जदार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरकृता द्वारा सांकेतिक कब्जा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	हिमांशु जैन/ अनीता देवी जैन/ कमल जैन/ विशेषक वैष्णव/ TBJAI00006239374	फ्लैट नंबर 1110, 11वीं मंजिल, मोजिका अल्टिमा, फेज–1, खसरा नंबर 59 से 68, 69/213, 71 से 74 पर स्थित, गाँव–नक्ष सालियारपाकुर, तहसील– शामगेर, जिला– जयपुर, राजस्थान–303902/ मार्च 06,2026	अक्टूबर 27, 2025 रु. 22,63,901.99/-	गाहरलगुन/ अरुणाचल प्रदेश/ जयपुर

उपरोक्त कर्जदार(रों)/जमानतदार(रों) को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति(यों) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के बाद नीलाम कर दी जाएगी।
दिनांक : मार्च 10, 2026 **भवदीय, प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थान : गाहरलगुन (अरुणाचल प्रदेश) **आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए**